

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग मुरैना (म.प्र.)

क्रमांक/३३१२
प्रति,

मुरैना दिनांक २०/१०/२०२०

कलेक्टर
जिला मुरैना

विषय-वन संरक्षण अधिनियम १९८० के तहत बमूर बसई का मजरा जाड़े का पुरा से सुमावली मार्ग निर्माण में प्रभावित वन भूमि रकवा ०.९९ हेक्टेयर का वनाधिकार अधिनियम २००६ के तहत एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने बागल।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि बमूर बसई का मजरा जाड़े का पुरा से सुमावली मार्ग निर्माण में प्रभावित वन भूमि रकवा ०.९९ हेक्टेयर का वन संरक्षण अधिनियम १९८० के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है। जिसके तहत वनाधिकार अधिनियम २००६ के तहत एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वनाधिकार अधिनियम २००६ के तहत एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करें।

कार्यपालन यंत्री १३/१०/२०२०
लोक निर्माण विभाग
मुरैना (म०प्र०)

